"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 मार्च 2012—फाल्गुन 19, शक 1933

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 जुलाई 2008

क्रमांक एफ 2-10/2006/1-6.—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 27 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 अक्टूबर, 2006 द्वारा जारी नियम में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियम के नियम-1 (1) में शब्द (शुल्क एवं प्रभार) के बाद शब्द और अंक "नियम, 2007" के स्थान पर शब्द और अंक "संशोधन नियम, 2006" पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

रायपुर, दिनांक 10 जुलाई 2008

क्रमांक एफ 2-10/2006/1-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड 3 के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-10/2006/1-6, दिनांक 10 जुलाई 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

Raipur, the 10th July 2008

No. F 2-10/2006/1-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 27, the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005) the state Government hereby makes the following Amendment in the rules, issued by even number notification dated 12th October, 2006, namely :—

AMENDMENT

In rule 1 (1) of the said rules after the word (fees and charge) in spite of the word & figure "rules, 2007" the word & figure "amendment rules, 2006" shall be substituted, namely.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. K. BAJPAI, Deputy Secretary.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 फरवरी 2012

शुद्धि-पत्र

क्रमांक 1494/डी. 41/21-अ/प्रारूपण/छ.ग./2012.—छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 11 मई 2011 के पृष्ठ क्रमांक 346(10) में प्रकाशित किये गये, छत्तीसगढ़ नगरपालिक राजस्व (विनियामक आयोग की स्थापना) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 15 सन् 2011) के अंग्रेजी पाठ में, अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) में, शब्द "साठ" को "पैंसठ" पढ़ा जाए.

CORRIGENDUM

No. 1494/डी. 41/21-अ/प्रारूपण/छ.ग./2012.—In the English version of the Chhattisgarh Municipal Revenue (Establishment of Regulatory Commission) Act, 2011 (No. 15 of 2011), as published in the Chhattisgarh Gazette (Extra Ordinary) dated, 11th May, 2011 at page 346 (10), in sub-section (3) of Section 4 of the Act, the word "sixty" be read as "sixty five".

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 फरवरी 2012

क्रमांक/एफ 7-48/32/2010.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उपधारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 07-01-2011 द्वारा रायपुर विकास योजना पुनर्विलोकित (2021) में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

रायपुर विकास योजना पुनर्विलोकित (2021) के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा (हेक्टर में)	विकास योजना अंगीकृत प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23 "क" के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सोनडोंगरी प.ह.नं. 23 रा.नि.मं. रायपुर	237/11 237/22	0.202 4.047 में से 4.007 हे.	मार्ग, अमोद-प्रमोद एवं औद्योगिक	आवासीय
		237/1 237/20 237/23	13.521 में से 10.311 हे.	मार्ग, अमोद-प्रमोद एवं औद्योगिक	आवासीय
		237/21 402	0.729 0.324 हे. में 0.204 हे.	मार्ग, अमोद-प्रमोद एवं औद्योगिक	आवासीय

2. उक्त प्रस्तावित उपांतरण बेसिक सर्विसेस फार अरबन पूअर योजना अंतर्गत नगर पालिक निगम, रायपुर को भवन निर्माण के प्रयोजन के लिए है.

3. सूचना में उल्लेखित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

4. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा रायपुर विकास योजना पुनर्विलोकन (2021) में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण रायपुर विकास योजना पुनर्विलोकित (2021) का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2012

क्रमांक एफ 21/189/2012/13/2/ऊ.वि..—यत:, राज्य सरकार की राय है कि राज्य के स्पंज आयरन इकाईयों, मिनी स्टील प्लांट, रोलिंग मिल्स तथा इन्टीग्रेटेड स्टील उद्योगों को विस्तारित रियायत देने के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा लोकहित में है;

अतएव, छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 (क्र. 10 सन् 1949) की धारा-3 (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए,

राज्य सरकार, पूर्व अधिसूचना क्रमांक 100/13/ऊ.वि./अधिसूचना/वि. शुल्क छूट/06 दिनांक 09 जनवरी 2006 को अधिक्रमित करते हुए, राज्य के स्पंज आयरन इकाईयों, मिनी स्टील प्लांट, रोलिंग मिल्स तथा इन्टीग्रेटेड स्टील उद्योगों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान करती है, अर्थात् :—

1. (क) विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट ऐसी औद्योगिक इकाईयों को नहीं मिलेगी जो अपनी विद्युत आवश्यकता की पूर्ति स्वयं के अथवा सहयोगी संस्थानों के केप्टिव पावर प्लांट से करती है एवं स्वीकृत भार के एवज में बहुत कम विद्युत प्राप्त कर इकाईयों का संचालन कर रही है.

(ख) ऐसी औद्योगिक इकाईयां जिन्हें छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल) द्वारा विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की गई है वे 01-01-2006 से 31-03-2006 की कालावधि के दौरान अतिरिक्त छूट हेतु पात्र नहीं होगी.

(ग) उपरोक्त सरल क्र. (क) में निर्धारित शर्तों के अनुसार पात्र संस्थानों को विद्युत शुल्क में भुगतान से छूट के एवज में देय राशि का भुगतान छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित द्वारा किया जाएगा एवं राज्य सरकार, ऐसी राशि की प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित को करेगी.

(घ) विद्युत शुल्क के भुगतान के लिए उपरोक्त छूट 01-01-2006 से 31-03-2006 तक की कालावधि के लिए लागू रहेगी.

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2006 से प्रभावशील मानी जाएगी.

No. F 21/189/2012/13/2/ED.—Whereas the State Government is of the opinion that extending concession to the Sponge Iron Units, Mini Steel Plants, Rolling Mills and Integrated Steel Plant Industries of the State is necessary and in public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3-B of the Chhattisgarh Electricity Duty Act, 1949 (No. 10 of 1949), State Government, hereby, in supersession of the previous Notification No. 100/13/ED/Notification/Electricity Duty/06, dated 09-01-2006, exempts Sponge Iron Units, Mini Steel Plants, Rolling Mills and Integrated Steel Plant Industries of the State from payment of Electricity Duty, subject to following conditions, namely :—

1. (a) Exemption from payment of Electricity Duty shall not be extended to such industrial units which are meeting its power requirement from captive power plant of its own or sister concerns and operating its unit after availing very less power against the sanctioned load.

(b) Such industrial units which have been allowed the exemption from payment of electricity duty by Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited (Formerly Chhattigarh State Electricity Board) during the period 01-01-2006 to 31-03-2006, shall not be eligible for additional exemption.

(c) The amount in lieu of exemption from payment of electricity duty shall be paid to the eligible institutions as per conditions stipulated in serial number (a) above by the Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited and the State Government shall reimburse such amount to Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited.

(d) Above exemption from payment of Electricity Duty shall be applicable for the period from 01-01-2006 to 31-03-2006.

2. This notification shall be deemed to have come into effect from 1st January 2006.

रायपुर, दिनांक 23 फरवरी 2012

क्रमांक 253/ल.ज.वि.परि./उ.वि./2012.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में 25 मेगावाट क्षमता तक की छोटी एवं लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए नीति-निर्देश एवं पारदर्शी आवंटन की प्रक्रिया हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी करती है :—

1. **नोडल एजेंसी :**—छत्तीसगढ़ में 25 मेगावॉट क्षमता तक की छोटी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु सर्वे, अनुसंधान उपरांत परियोजना स्थल का चयन, नई छोटी जल विद्युत परियोजनाओं का चिन्हांकन एवं विकास आदि के लिए छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) राज्य की नोडल एजेंसी अधिकृत है.

2. **लघु जल विद्युत परियोजनाओं में निवेश :**—राज्य में 25 मेगावाट क्षमता तक की लघु एवं छोटी जल विद्युत परियोजनाओं का विकास नोडल एजेंसी (क्रेडा) द्वारा सामान्यत: निजी निवेश से कराया जाएगा. आवश्यकतानुसार नोडल एजेंसी भी स्वयं के स्रोत से अथवा निजी क्षेत्र के साथ संयुक्त निवेश कर इन परियोजनाओं का विकास कर सकेगी.

3. **परियोजना स्थल के चिन्हांकन एवं विकास की प्रक्रिया :—**

3.1 राज्य की नोडल एजेंसी (क्रेडा) द्वारा स्वयं के स्रोतों से सर्वे एवं अनुसंधान उपरांत चिन्हित एवं चयनित 25 मेगावाट क्षमता तक की छोटी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना की जा सकेगी. ऐसी परियोजनाएं क्रेडा द्वारा चिन्हित परियोजनाएं कहलायेंगी.

3.2 निजी निवेशक द्वारा भी स्वयं के स्रोतों से नई परियोजना की स्थापना हेतु उपयुक्त स्थल का चिन्हांकन कर परियोजना स्थापना हेतु राज्य नोडल एजेंसी को आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है, बशर्ते निजी क्षेत्र द्वारा चयनित स्थल पर परियोजना की स्थापना के कारण राज्य की सिंचाई अथवा पेयजल के लिए प्रस्तावित परियोजना प्रभावित नहीं होनी चाहिए. ऐसी परियोजनाएं निजी क्षेत्र द्वारा चिन्हित परियोजनाएं कहलायेंगी.

3.3 क्रेडा अथवा निजी निवेशक द्वारा चिन्हांकित किसी भी परियोजना से राज्य की विचाराधीन जल विद्युत उत्पादन परियोजना, निर्माणाधीन जल संरचनाओं के अंतर्गत अन्य जल विद्युत परियोजनाएं प्रभावित नहीं होना चाहिए.

4. **आवंटन की प्रक्रिया :—**

4.1.1 **पात्रता.**—किसी भारतीय नागरिक, इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत पंजीकृत फर्म, पंजीकृत सहकारी संस्था एवं कंपनी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी को राज्य में छोटी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की पात्रता रहेगी. लेकिन 05 मेगावाट क्षमता तक के छोटी जल विद्युत परियोजना केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों अथवा उनके द्वारा गठित एवं संचालित पंजीकृत सहकारी संस्था, पार्टनरशिप एक्ट के तहत पंजीकृत फर्म, पंजीकृत कंपनी हेतु आरक्षित रहेगी.

4.1.2 आवेदक को क्रेडा द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार तकनीकी एवं वित्तीय रूप से सक्षम होना चाहिए.

4.1.3 पांच (5) मेगावाट क्षमता तक की प्रस्तावित परियोजना के आवंटन हेतु आवेदक को कुल लागत का 10 प्रतिशत समतुल्य राशि के बराबर नेटवर्थ धारित होना चाहिए लेकिन पांच (5) मेगावाट से अधिक क्षमता की प्रस्तावित परियोजना के आवंटन हेतु आवेदक को कुल लागत का 20 प्रतिशत समतुल्य राशि के बराबर नेटवर्थ धारित होना चाहिए.

4.2 **शुल्क :—**

4.2.1 क्रेडा द्वारा चिन्हित परियोजना की स्थापना हेतु आवेदन के साथ रुपये 15 प्रति किलोवाट की दर से प्रति परियोजना अधिकतम रुपये 5,00,000/- लेकिन न्यूनतम रुपये 10,000/- का शुल्क जमा करना होगा.

4.2.2 निजी क्षेत्र द्वारा चयनित परियोजना की स्थापना हेतु आवेदन के साथ रुपये 10 प्रति किलोवाट की दर से प्रति परियोजना अधिकतम रुपये 3,00,000/- लेकिन न्यूनतम रुपये 10,000/- का शुल्क जमा करना होगा.

4.2.3 आवेदक द्वारा क्रेडा को भुगतान किया गया शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा.

4.3 छोटी एवं लघु जल विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के आवंटन की प्रक्रिया एवं सीमा :—

4.3.1 क्रेडा द्वारा चिन्हित परियोजनाएं :—

(अ) क्रेडा द्वारा चिन्हित परियोजना के आवंटन हेतु राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक समाचार पत्रों में आवंटन प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे.

(ब) नोडल एजेंसी द्वारा प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर तकनीकी एवं वित्तीय मापदण्ड पूर्ण करने वाले पात्र आवेदक का चयन निर्धारित पारदर्शी प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा एवं निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण होने पर परियोजना आवंटित की जावेगी.

4.3.2 निजी क्षेत्र द्वारा चिन्हित परियोजनाएं :—

(अ) निजी निवेशकों द्वारा चिन्हित परियोजना के लिए संबंधित निवेशक निर्धारित प्रारूप में क्रेडा को सीधे आवेदन जमा कर सकेंगे.

(ब) निजी निवेशक द्वारा चिन्हित परियोजना के आवंटन के पूर्व निर्धारित वित्तीय एवं तकनीकी मापदण्ड को पूर्ण किये जाने के संबंध में क्रेडा द्वारा परीक्षण किया जाएगा.

(स) किसी एक परियोजना के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर उस लघु जल विद्युत परियोजना का आवंटन पात्र आवेदक को "प्रथम आओ प्रथम पाओ" नीति के आधार पर किया जाएगा.

4.3.3 पूर्व में प्रभावशील नीति के अंतर्गत आवंटित परियोजनाओं की स्थापना पर प्रभाव :—

(अ) इस नीति के प्रभावशील होने के पूर्व यदि किसी आवेदक ने उन्हें आवंटित छोटी एवं लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु वित्तीय लेखाबंदी अथवा पर्यावरण स्वीकृति के अंतर्गत स्थापना सम्मति प्राप्त कर ली हैं तो ऐसी परियोजनाओं की स्थापना नई नीति के कारण अप्रभावित रहेगी.

(ब) पूर्व दिशा निर्देशों के तहत् आवंटित परियोजना के लिए संबंधित निवेशक को आवश्यक वैधानिक अनुमतियां एवं वित्तीय लेखाबंदी इन दिशा-निर्देशों के प्रकाशन की तिथि से 24 माह की अवधि की समाप्ति तक प्राप्त करना होगा. अन्यथा परियोजना आवंटन आदेश को निरस्त करने की नियमानुसार कार्यवाही क्रेडा द्वारा की जा सकेगी.

4.3.4 आवंटन की सीमा:—

(अ) आवेदक को एक समय में अधिकतम दो परियोजनाएं जिनका कुल अधिकतम क्षमता 25 मेगावाट तक हो अथवा 25 मेगावाट क्षमता की एक परियोजना का आवंटन किया जायेगा.

(ब) अधिकतम दो अथवा 25 मेगावाट क्षमता तक की छोटी जल विद्युत परियोजनाओं के आवंटन की यह सीमा ऐसी कंपनियों पर भी लागू होगी जो कंपनी एक्ट 1956 (वर्ष 1956 का क्रमांक एक) की संगत धाराओं में एक ही प्रबंधन के रूप में परिभाषित है.

5. उत्पादित विद्युत के पारेषण हेतु विद्युत व्हीलिंग अथवा विद्युत प्रणाली का विकास :—

5.1 आवेदक द्वारा विकसित छोटी एवं लघु जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत के पारेषण हेतु पारेषण लाइन की आवश्यकता होने पर उक्त लाइन की स्थापना हेतु वैधानिक अनुमतियां एवं विद्युत प्रणाली के विकास का दायित्व निवेशक पर होगा. इस हेतु संयंत्र के अंतर्गत प्रस्तावित स्वीचयार्ड से राज्य की निकटतम विद्युत पारेषण प्रणाली अथवा विद्युत वितरण प्रणाली अथवा अन्तर्राज्यीय विद्युत पारेषण प्रणाली तक आवश्यक विद्युत पारेषण लाइन की स्थापना हेतु विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत सभी आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने का दायित्व आवेदक पर रहेगा.

5.2 निवेशक को विद्युत अधिनियम 2003 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत लायसेंसी की अन्य विद्यमान विद्युत प्रणाली का उपयोग कर विद्युत के व्हीलिंग की अनुमति होगी. लेकिन इस हेतु आवेदक को नियमानुसार विद्युत व्हीलिंग शुल्क का भुगतान करना होगा.

6. **छोटी एवं लघु जल विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त जल पर रायल्टी :**—जल विद्युत के उत्पादन में प्रयुक्त जल पर रायल्टी रियायती दर अर्थात् केवल 06 पैसे प्रति यूनिट की दर से अधिरोपित रहेगी.

7. **छोटी एवं लघु जल विद्युत परियोजनाओं में रियायत :**—

7.1 राज्य में प्रस्तावित छोटी एवं लघु जल विद्युत परियोजनाओं को राज्य की प्रभावशील औद्योगिक नीति के प्रावधानों के अनुसार विद्युत शुल्क के भुगतान में छूट की पात्रता रहेगी.

7.2 25 मेगावाट क्षमता तक की छोटी एवं लघु जल विद्युत परियोजनाओं का राज्य में प्रभावशील औद्योगिक नीति में प्रावधित थ्रस्ट सेक्टर के उद्योगों को मिलने वाली रियायतें/सुविधाएं की पात्रता रहेगी.

8. **छोटी एवं लघु जल विद्युत परियोजना के लिए भूमि आवंटन :**—

8.1 निवेशक को परियोजना हेतु आवश्यक भूमि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी.

8.2 यदि परियोजना स्थल पर उपलब्ध शासकीय भूमि की आवश्यकता है तो उसके आवंटन हेतु शासन के नियमानुसार कार्यवाही जल संसाधन विभाग या राजस्व विभाग द्वारा की जायेगी. लेकिन इस हेतु निवेशक को एसआईपीबी के माध्यम से आवेदन करना होगा.

8.3 यदि परियोजना हेतु निजी भूमि की आवश्यकता है तो शासन के प्रभावशील नियमों के अंतर्गत अधिग्रहण की कार्यवाही उद्योग विभाग या राजस्व विभाग द्वारा की जायेगी. लेकिन इस हेतु निवेशक को एसआईपीबी के माध्यम से आवेदन करना होगा.

8.4 परियोजना से प्रभावित परिवारों को राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति के अंतर्गत विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने का दायित्व आवेदक पर होगा. परियोजना प्रभावितों के विस्थापन एवं पुनर्वास की कार्ययोजना स्वीकृत परियोजना प्रतिवेदन में सम्मिलित करना होगा ताकि प्रभावित परिवारों को आदर्श पुनर्वास नीति के अंतर्गत प्रस्तावित सभी सुविधाएं परियोजना से विद्युत उत्पादन प्रारंभ होने के पूर्व आवश्यक रूप से प्राप्त हो सके.

9. **छोटी एवं लघु जल विद्युत परियोजना के लिए वैधानिक व आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करना :**—जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु सभी वैधानिक एवं आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने का दायित्व निवेशक पर है. अतः आवेदक को उन्हें आवंटित परियोजना हेतु सभी वैधानिक एवं आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण प्रारंभ करने की अनुमति रहेगी.

10. **छोटी एवं लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु समय-सीमा :**— आवेदक को परियोजना आवंटन की तिथि से 24 माह के भीतर परियोजना के विकास हेतु वित्तीय प्रबंधन की प्रक्रिया अंतर्गत वित्तीय लेखाबंदी सुनिश्चित करना होगा तथा वित्तीय लेखाबंदी उपरांत अधिकतम 03 माह की अवधि में परियोजना का निर्माण प्रारंभ करना होगा. और निर्माण प्रारंभ करने की तिथि से अधिकतम 24 माह की अवधि में परियोजना की पहली इकाई से विद्युत का उत्पादन प्रारंभ करना होगा. आवेदक द्वारा वित्तीय लेखाबंदी अथवा परियोजना निर्माण हेतु निर्धारित उक्त समय-सीमा जो भी पहले हो, का पालन न करने पर क्रेडा द्वारा परियोजना कार्यों में हुए प्रगति के अनुसार परियोजना आवंटन आदेश को निरस्त करने पर विचार किया जा सकेगा.

11. **छोटी एवं लघु जल विद्युत परियोजना से उत्पादित विद्युत का क्रय :**— छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86 के अंतर्गत समय-समय पर प्रभावशील किए गए रिन्युवेबल पर्चेस आब्लिगेशन संबंधी रेग्युलेशन के पालन में राज्य की विद्युत वितरण कंपनी द्वारा इन लघु एवं छोटी जल विद्युत परियोजनाएं से उत्पादित विद्युत का क्रय बंधनकारी होगा. राज्य की विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रथम अधिकार के अंतर्गत इन परियोजनाओं से विद्युत क्रय न करने पर निजी विद्युत उत्पादक स्वनिर्णय से अन्य को विद्युत का विक्रय कर सकेगा.

राज्य की विद्युत वितरण कंपनी द्वारा इन परियोजनाओं से क्रय की जा रही बिजली की मात्रा एवं दर का निर्धारण राज्य विद्युत नियामक आयोग के रेग्युलेशन के अंतर्गत किया जाएगा.

12. **परियोजना की प्रगति की समीक्षा :**—राज्य में प्रस्तावित छोटी एवं लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना की प्रगति की समीक्षा ऊर्जा विभाग द्वारा समय-समय पर की जायेगी.

13. **परियोजना आवंटन आदेश का हस्तांतरण :**—सामान्यत: परियोजना का आवंटन अहस्तांतरणीय है. अत: इन परियोजनाओं का विकास स्वयं आवेदक द्वारा किया जाना अनिवार्य है. तदनुसार परियोजना के आवंटन की तिथि से विद्युत के वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि उपरांत दो वर्ष की अवधि तक आवेदक पर निम्नानुसार प्रतिबंध लागू रहेंगे :—

i. यदि परियोजना का आवंटन किसी भारतीय नागरिक को किया गया है तो ऐसी अवस्था में परियोजना से विद्युत के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक किसी अन्य को परियोजना का अंतरण क्रेडा की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा.

ii. यदि परियोजना का आवंटन इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत फर्म अथवा पंजीकृत सहकारी संस्था अथवा पंजीकृत सोसाइटी अथवा कंपनी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी को किया गया है तो ऐसी अवस्था में उक्त आवंटित परियोजना से विद्युत के वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक आवंटन के समय गठित शासी निकाय, प्राधिकारी अथवा संचालक मण्डल में कोई भी परिवर्तन क्रेडा की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा.

iii. आवेदक को परियोजना की स्थापना हेतु आवश्यक होने पर स्पेशल परपस व्हीकल (एसपीव्ही) के गठन की अनुमति होगी लेकिन उक्त एसपीव्ही को आवंटित परियोजना के विकास के अलावा अन्य कार्य करने की अनुमति नहीं होगी. इस तरह गठित एसपीव्ही में आवेदक की अंशपूंजी कम से कम 51 प्रतिशत होनी आवश्यक है.

iv. परियोजना की स्थापना हेतु जारी आवंटन आदेश की शर्तों के अधीन परियोजना का निर्माण एवं संचालन किया जा सकेगा.

14. **पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों का निरसन एवं आवंटन पर प्रभाव :**— पूर्व में जारी नीतिगत दिशा निर्देश इस नये नीतिगत निर्देशों के जारी होने की तिथि से निरसित हो जाएंगे लेकिन पूर्व नीति निर्देशों के अंतर्गत प्राप्त व अनिर्णित आवेदनों को निरस्त कर संबंधित परियोजनाओं का आवंटन इन नीति निर्देशों के अंतर्गत किया जा सकेगा.

15. राज्य में छोटी एवं लघु जल विद्युत परियोजनाओं के प्रोत्साहन हेतु उपरोक्त दिशा-निर्देश अधिसूचना जारी होने की तिथि से 10 वर्ष तक प्रभावशील रहेंगे. इस अधिसूचना जारी होने तक पूर्व नीति प्रभावशील रहेगी.

16. उपरोक्तानुसार जारी नीति निर्देश में ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन समय-समय पर आवश्यक संशोधन कर सकेगा.

17. उक्त नीति में उल्लेखित प्रावधान या बिन्दु पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर ऊर्जा विभाग, छत्ती सगढ़ शासन स्पष्टीकरण जारी कर सकेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 9 फरवरी 2012

क्रमांक/क/भू-अर्जन/02/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	बस्तर	सालेमेटा प.ह.नं. 01	1.10	कार्यपालन अभियन्ता, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन संभाग, जगदलपुर.	कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत बांध (डूब क्षेत्र).

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर अथवा कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 23 फरवरी 2012

क्रमांक क/भू-अर्जन/05/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	पंडरीपानी प.ह.नं. 12	5.82	कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर बस्तर संभाग क्रमांक-1, जगदलपुर.	जगदलपुर बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर बस्तर संभाग क्रमांक-1, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 23 फरवरी 2012

क्रमांक/2187/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	बेलरगोंदी प. ह. नं. 17	1.100	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	घुमरिया नाला बैराज के माइनर नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 23 फरवरी 2012

क्रमांक/2188/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	चौकी	माहुद मचान्दुर प. ह. नं. 13	5.442	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोंहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग.	मोंहड़ जलाशय परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 28 फरवरी 2012

प्रकरण क्रमांक 2/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	मेडुका प.ह.नं. 03	3.755	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही, मुख्यालय पेण्ड्रारोड, जि. बिलासपुर.	दर्री व्यपवर्तन योजना की मेडुका माइनर नहर के निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 फरवरी 2012

प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	भस्कुरा प.ह.नं. 19	10.496	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही, मुख्यालय पेण्ड्रारोड, जि. बिलासपुर.	दर्री व्यपवर्तन योजना की मुख्य नहर एवं भस्कुरा व दर्री माइनर नहरों के निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 फरवरी 2012

प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	दर्री प.ह.नं. 03	10.255	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही, मुख्यालय पेण्ड्रारोड, जि. बिलासपुर.	दर्री व्यपवर्तन योजना की मुख्य नहर, माइनर नहरों के निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 फरवरी 2012

क्रमांक-क/भू-अर्जन/331.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	खरकेना प.ह.नं. 17	0.061	कार्यपालन अभियन्ता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 5, खरसिया.	गिरगिरा माइनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 फरवरी 2012

क्रमांक-क/भू-अर्जन/332.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कोमो प.ह.नं. 03	0.030	कार्यपालन अभियन्ता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 5, खरसिया.	नवापारा उप शाखा वितरिका लघु वितरिका 2 आर. नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 फरवरी 2012

क्रमांक-क/भू-अर्जन/333.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	नंदौरकला प.ह.नं. 12	0.165	कार्यपालन अभियन्ता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 6, सक्ती.	मल्दी माइनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 16 फरवरी 2012

क्रमांक-क/भू-अर्जन/41.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	मुलमुला प.ह.नं. 05	0.218	कार्यपालन अभियन्ता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	बनाहिल शाखा नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 मार्च 2012

क्रमांक-क/भू-अर्जन/3980.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	बाड़ादरहा प.ह.नं. 02	4.622	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला जांजगीर-चांपा.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 मार्च 2012

क्रमांक-क/भू-अर्जन/3982.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	टुण्ड्री प.ह.नं. 02	5.961	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला जांजगीर-चांपा.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 2 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 31/अ-82/2008-09.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया द्वारा ग्राम-सुर्री, प.ह.नं.-29, तहसील पुसौर व जिला रायगढ़ की निजी भूमि रकबा 4.333 हे. केलो परियोजना अंतर्गत छींच माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा 4(1) की अधिसूचना तथा धारा 6 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमशः दिनांक 03-07-2009 तथा दिनांक 04-12-2009 को कराया गया है.

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही हेतु सम्मिलित उक्त भूमि से निम्नांकित रकबा 0.613 हे. भूमि को योजना के बाहर एवं आपसी बंटवारा व प्रकाशन में त्रुटि होने के फलस्वरूप भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 48 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम-सुर्री

क्र. (1)	ख. नं. (2)	रकबा (3)	क्र. (4)	ख. नं. (5)	रकबा (6)
1.	708/5	0.018	8.	644	0.020
2.	629/2ख	0.017	9.	647	0.081
3.	675/1ग	0.040	10.	673/7	0.043

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	675/1घ	0.017	11.	690/1	0.045
5.	675/3ग	0.028	12.	688/1ग	0.041
6.	635/1	0.019	13.	685	0.004
7.	643/1	0.240			
			कुल ख. नं. 13	कुल रकबा	0.613 हे.

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 2 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2009-10.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया द्वारा ग्राम-कोतरा, प.ह.नं.-09, तहसील व जिला रायगढ़ की निजी भूमि रकबा 8.525 हे. केलो परियोजना अंतर्गत धनगांव वितरक नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा 4 (1) की अधिसूचना तथा धारा 6 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमश: दिनांक 08-01-2010 तथा दिनांक 27-8-2010 को कराया गया है.

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही हेतु सम्मिलित उक्त भूमि से निम्नांकित रकबा 1.181 हे. भूमि को योजना के बाहर एवं आपसी बंटवारा व प्रकाशन में त्रुटि होने के फलस्वरूप भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 48 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम-कोतरा

क्र. (1)	ख. नं. (2)	रकबा (3)	क्र. (4)	ख. नं. (5)	रकबा (6)
1.	255/27क	0.081	12.	268/4	0.028
2.	262/1	0.020	13.	272/1	0.004
3.	147/1	0.162	14.	159/1	0.032
4.	147/2	0.037	15.	159/4	0.065
5.	147/3	0.073	16.	159/5	0.040
6.	147/7	0.178	17.	170/8	0.057
7.	147/9	0.049	18.	175/1	0.058
8.	266/1क	0.027	19.	159/7	0.029
9.	263/1	0.071	20.	278/1	0.020
10.	260/1ख	0.017	21.	159/9	0.081
11.	264/3	0.008	22.	256/1	0.044
		कुल योग ख. नं.	22	कुल योग रकबा	1.181 हे.

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 2 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 27/अ-82/2009-10.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया द्वारा ग्राम-सूपा, प.ह.नं.-38, तहसील पुसौर व जिला रायगढ़ की निजी भूमि कुल रकबा 2.195 हे. केलो परियोजना अंतर्गत कठली वितरक नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा 4 (1) की अधिसूचना तथा धारा 6 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमशः दिनांक 27-08-2010 तथा दिनांक 29-10-2010 को कराया गया है.

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही हेतु सम्मिलित उक्त भूमि से निम्नांकित कुल रकबा 0.024 हे. भूमि को योजना के बाहर होने के फलस्वरूप भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 48 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम-सूपा

क्र. (1)	ख. नं. (2)	रकबा (3)
1.	35/8	0.004
2.	63	0.020
	योग	**0.024 हे.**

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 2 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 28/अ-82/2009-10.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया द्वारा ग्राम-कठली, प.ह.नं.-39, तहसील पुसौर व जिला रायगढ़ की निजी भूमि कुल रकबा 2.269 हे..केलो परियोजना अंतर्गत कठली वितरक नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा 4 (1) की अधिसूचना तथा धारा 6 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमशः दिनांक 27-08-2010 तथा दिनांक 29-10-2010 को कराया गया है.

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही हेतु सम्मिलित उक्त भूमि से निम्नांकित ख. नं. 178/3 रकबा 0.008 हे. भूमि को योजना के बाहर होने के फलस्वरूप भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 48 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम-कठली

क्र. (1)	ख. नं. (2)	रकबा (3)
1.	178/3	0.008
	योग	**0.008 हे.**

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 2 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/31/अ-82/2009-10.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया जिला रायगढ़ द्वारा ग्राम-चिखली, प.ह.नं.-38, तहसील पुसौर जिला रायगढ़ की निजी भूमि कुल ख. नं. 03 कुल रकबा 0.137 हे. सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा 4 की अधिसूचना का प्रकाशन तथा धारा 6 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमश: दिनांक 27-08-2010 तथा दिनांक 29-10-2010 को कराया गया है.

निम्नांकित भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक नहीं होने के फलस्वरूप भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 48 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम-चिखली

क्र.	ख. नं.	रकबा हे.
(1)	(2)	(3)
1.	342/1	0.020
2.	301/1	0.008
3.	342	0.109
योग	03	**0.137**

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, ज़िला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 8 फरवरी 2012

क्रमांक 09/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
(ख) तहसील-कोटा
(ग) नगर/ग्राम-आमामुडा, प.ह.नं. 5/16
(घ) लगभग क्षेत्रफल-18.70 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
6/1त	0.90
6/6, 18/1	0.60

(1)	(2)
6/7, 19/1	0.40
6/17	0.33
221/4	1.00
19/2, 20/6	0.50
43	1.40
46/1	0.20
46/2	0.40
46/3	0.30
85	0.80
86	1.10
88	0.50
89/1	0.20
218/1, 226/2	0.30
90, 91	0.50
93, 103	3.00
99	0.30
101	0.20
102	0.50
213/2, 214, 215	1.00
221/1, 221/2	2.00
221/3	0.60
221/5	1.05
216, 217/3	0.30
218/3, 226/3	0.32
योग	18.70

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आमामुडा व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 23 फरवरी 2012

क्रमांक/2189/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-मोखला, प. ह. नं. 38
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.90 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
548/3	0.09
548/2	0.20
548/1	0.03
548/6	0.13
547/2	0.27
547/5	0.06
547/3	0.12
योग 7	0.90

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-शिवनाथ व्यपवर्तन के मोखला शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 23 फरवरी 2912

क्रमांक/भू-अर्जन/1/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा
- (ख) तहसील-गीदम
- (ग) नगर/ग्राम-गीदम, प.ह.नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.987 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
47/4	1.346
47/2	0.809
47/3	0.809
54	0.841
55/1	3.181
47/1	0.397
49/2	0.744
55/2	0.880
योग	8.987

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-सामान्य आवास योजना के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दन्तेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. पी. चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 फरवरी 2012

क्रमांक 36.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-बाराद्वार बस्ती, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.165 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1915	0.036
	1938/2	0.028
	2295	0.036
	2297	0.065
योग	4	0.165

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तलवा सब माइनर नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 फरवरी 2012

क्रमांक 37.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-सरहर, प. ह. नं. 17

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.016 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	431/3	0.016
योग	1	0.016

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अवश्यकता है-दर्री माइनर नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 फरवरी 2012

क्रमांक 38.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-गौरमुड़ा, प. ह. नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.003 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	16/1	0.040
	17/1	0.040
	18	0.040
	19/1	0.016
	19/2	0.016
	21/1	0.032
	21/2	0.032
	50/1	0.069
	51	0.061
	52	0.024
	53/1	0.004
	53/2	0.004
	53/3	0.004
	53/4	0.004
	53/5	0.008
	53/6	0.004
	53/7	0.004
	54	0.057
	55	0.020
	56/1	0.012
	56/2	0.012
	57	0.020
	58	0.045
	59	0.012
	61/1	0.251
	62	0.020
	73/1	0.036
	73/2	0.036
	73/3	0.032
	74/1	0.024
	74/2	0.024
योग	31	1.003

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एनीकट निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 फरवरी 2012

क्रमांक 39.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-पामगढ़
(ग) नगर/ग्राम-बुन्देला, प. ह. नं. 15
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.641 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	71/2	0.040
	79/2, 79/4	0.024
	462/11	0.040
	481/2	0.008
	591	0.121
	601/1	0.032
	725/1	0.125
	725/4	0.032
	725/5	0.089
	725/10	0.061
	873/3	0.069
योग	11	0.641

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बुन्देला माइनर नं. 2 नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 फरवरी 2012

क्रमांक 40.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-पामगढ़
(ग) नगर/ग्राम-बुन्देला, प. ह. नं. 15
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.242 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	108/8	0.020
	107/1	0.069
	106/9	0.024
	289/1	0.008
	289/10	0.065
	326/1	0.008
	326/2	0.016
	321/2	0.012
	977/4	0.020
योग	9	0.242

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बुन्देला माइनर नं. 1 नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 फरवरी 2012

क्रमांक 334.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-डभरा
(ग) नगर/ग्राम-डभरा, प. ह. नं. 10
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.178 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
930/6	0.036
1090/1	0.069
1090/2	0.016
1091/3	0.057
योग 4	0.178

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छुहीपाली सब डि. नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 फरवरी 2012

क्रमांक 335.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-कटौद, प. ह. नं. 06
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.036 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
198	0.024
214/1	0.012
योग 2	0.036

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कांसा ब्रांच माइनर नं. 2 नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 फरवरी 2012

क्रमांक 336.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-कटौद, प. ह. नं. 06
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.076 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
23/2	0.020
145	0.016
139/1	0.040
योग 3	0.076

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-डाय. कटौद माइनर नं. 4 नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़

बलौदाबाजार, दिनांक 25 फरवरी 2012

क्रमांक क/381/खलि/तीन-1/09.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 1996 के नियम (12) के तहत्, जिला रायपुर स्थित निम्नानुसार सूची में दर्शाये गये क्षेत्र, चूनापत्थर गौण खनिज के उत्खनिपट्टा स्वीकृति हेतु, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से 30 (दिन) पश्चात् आवेदन हेतु उपलब्ध होगा. प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार जांच उपरान्त आवेदित क्षेत्र में उत्खनिपट्टा स्वीकृति हेतु विचार किया जायेगा.

क्र.	ग्राम का नाम	प. ह. नं.	तहसील	खसरा नंबर	रकबा	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	दर्रा	08	कसडोल	320/2, 321/3 (निजी भूमि)	0.20 एकड़	श्री दुखी राम साहू को चूनापत्थर उत्खनिपट्टा दिनांक 24-07-2004 से 23-07-2009 तक स्वीकृत अवधि समाप्त होने के कारण क्षेत्र रिक्त है.
2.	खैरवारी	31	सिमगा	384 (निजी भूमि)	2.00 एकड़	श्री प्रशांत गुप्ता को स्वीकृत चूनापत्थर उत्खनि-पट्टा का समयावधि में अनुबंध नहीं कराने के कारण गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम 26 के तहत् पट्टा मंजूर करने वाला आदेश प्रतिसंहृत (Revoked) होने से क्षेत्र रिक्त है.
3.	चांटीपाली	08	कसडोल	512/8 (निजी भूमि)	0.30 एकड़	श्री सुखीराम सतनामी को दिनांक 24-07-2004 से 23-07-2009 तक स्वीकृत चूनापत्थर उत्खनिपट्टा दिनांक 14-5-2007 से निरस्त होने के कारण क्षेत्र रिक्त है.
4.	दर्रा	08	कसडोल	327/5 (निजी भूमि)	0.057 हेक्टर	श्री धरमू गाड़ा का दिनांक 13-12-2005 से 12-12-2010 तक स्वीकृत चूनापत्थर उत्खनि-पट्टा अवधि समाप्त होने के कारण क्षेत्र रिक्त है.

राजेश सुकुमार टोप्पो,
कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), राजनांदगांव (छ.ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 3 मार्च 2012

क्रमांक/281/ख.लि. 02/2012.—गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम 12 के अन्तर्गत निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया क्षेत्र भवन निर्माण के सामग्री के रूप में उपयोग लायी जाने वाले चूने के विनिर्माण के लिए भट्ठी में जलाकर उपयोग में लिया जाने वाला चूनापत्थर उत्खनिपट्टा पर दिये जाने हेतु छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन पश्चात् क्षेत्र उपलब्ध होगा.

क्र.	पूर्व पट्टेदार का नाम	ग्राम का नाम	तहसील	खसरा क्रमांक	रकबा (एकड़ में)	खनिज का नाम	भूमि का विवरण	खुला घोषित किये जाने का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	श्रीमती शशिकला गुप्ता ध.प. श्री राजेश कुमार गुप्ता निवासी-जनता कालोनी, राजनांदगांव	चवेली	राजनांदगांव	391/2	2.49	चूनापत्थर	निजी भूमि	उत्खनिपट्टे की अवधि समाप्त होने के कारण.
2.	श्री राघवेन्द्र तिवारी आ. मदन तिवारी, निवासी-महेन्द्र नगर, राजनांदगांव	डूमरडीहकला	राजनांदगांव	501/1, 508/8	1.25	चूनापत्थर	निजी भूमि	उत्खनिपट्टे की अवधि समाप्त होने के कारण.

टीप :— भूमि स्वामी की सहमति अनिवार्य है.

एस. के. पवार
अपर कलेक्टर.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, धमतरी (छ.ग.)

धमतरी, दिनांक 27 फरवरी 2012

क्रमांक/179/वर्त.भू.उप./न.ग्रा.नि./2012.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि कुरूद निवेश क्षेत्र के लिये भूमि के उपयोग संबंधी मानचित्र का छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है उसकी प्रति नगर पंचायत कुरूद के मंगल भवन में, जिलाध्यक्ष कार्यालय धमतरी एवं कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, धमतरी (छ.ग.) में दिनांक 25-02-2012 से कार्यालयीन समय के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है.

कुरूद निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्न अनुसूची में दी गई है :—

अनुसूची

उत्तर : ग्राम भाटागांव, भोथली एवं कुहकुहा ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व : ग्राम कुहकुहा, भरदा, नवागांव एवं उमरदा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण : ग्राम उमरदा, चर्रा एवं कन्हारपुरी ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम : ग्राम चर्रा, कन्हारपुरी, राखी एवं भाटागांव ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किये गये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, धमतरी (छ.ग.) को या निरीक्षण स्थल पर इस सूचना के "छ.ग. राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की कालावधि के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्रों के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति के ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व प्राप्त हो, तो संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश छ.ग. द्वारा विचार किया जावेगा.

निरीक्षण स्थल-नगर पंचायत कुरूद के मंगल भवन.

No./179/वर्त.भू.उप./न.ग्रा.नि./2012.—Notice is hereby given that the existing land use maps for the Kurud Planning Area has been prepared under subsection (1) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy thereof is available for inspection w.e.f. 25-02-2012 in Mangal Bhavan of Nagar Panchayat Kurud, and the Office of the Collector, Dhamtari and Assistant Director Town and Country Planning Office Dhamtari during Office hours on working days. The limits of Kurud Planning Area are detailed in Schedule given below :—

Kurud Planning Area Limits Schedule

NORTH :	Northern limits of Villages Bhatagaon, Bhothli and Kuhkuha.
EAST :	Eastern limits of Villages Kuhkuha, Bharda, Nawagaon and Umarda.
SOUTH :	Southern limits of Villages Umarda, Charra and Kanharpuri.
WEST :	Western limits of Villages Charra, Kanharpuri, Rakhi and Bhatagaon.

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared it should be sent in writing to the Assistant Director, Town and Country Planning, Dhamtari or at the Exhibition place at Kurud within a period of thirty days from the date of publication of the notice in "Chhattisgarh Gazette."

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before the period specified above will be considered by the Director, Town and Country Planning C. G.

Inspection Site- Mangal Bhavan of Nagar Panchayat Kurud.

बी. एल. बांधे,
सहायक संचालक.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, कोरबा (छत्तीसगढ़)

कोरबा, दिनांक 24 फरवरी 2012

क्रमांक 552/स्टेनो/2012.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/418/स्टेनो/2011 कोरबा दिनांक 03-12-2011 के द्वारा जारी कार्य बंटन आदेश में आंशिक संशोधन पश्चात् अपर कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर के मध्य कार्य विभाजन किया जाता है :—

1. **श्री अभय कुमार मिश्रा (रा.प्र.से.)**

अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कोरबा

1. **वित्त एवं स्थापना का सम्पूर्ण प्रभार**
   अधिकारियों/कर्मचारियों के अवकाश वेतन वृद्धि तथा सामान्य भविष्य निधि के आंशिक अंतिम विकर्षण तथा अग्रिम के स्वीकृति के प्रकरणों में अंतिम आदेश पारित करना.
2. नोडल अधिकारी - भू-अभिलेख शाखा
3. संपूर्ण जिले के भू-अर्जन/भूमि बंटन
4. नोडल अधिकारी - राजस्व आपदा प्रबंधन शाखा
5. नोडल अधिकारी - सामान्य निर्वाचन शाखा/स्थानीय निर्वाचन शाखा

6. नोडल अधिकारी - कृषि एवं उद्यान
7. अपर कलेक्टर (नजूल)
8. कटघोरा अनुभाग के अंतर्गत शहरी क्षेत्र को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र के राजस्व अपील/पुनरीक्षण पर प्रकरणों का निराकरण (भू-विक्रय प्रकरणों को छोड़कर)
9. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी (शहरी क्षेत्र के लिए)
10. लायसेंस
11. पासपोर्ट
12. कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

2. **श्री एस. आर. साहू, अपर कलेक्टर कोरबा**

1. नोडल अधिकारी - महिला एवं बाल विकास विभाग कोरबा
2. नोडल अधिकारी - अंतव्यवसायी
3. प्रभारी अधिकारी - सांख्य लिपिक शाखा, अल्प बचत शाखा
4. नोडल अधिकारी - आदिमजाति कल्याण विभाग कोरबा
5. नगर सेना
6. कोरबा अनुभाग के अंतर्गत शहरी क्षेत्र को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र के राजस्व अपील/पुनरीक्षण पर प्रकरणों का निराकरण (भू-विक्रय प्रकरणों को छोड़कर)
7. कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य

3. **श्रीमती हिना अनिमेष नेताम, संयुक्त कलेक्टर**

1. नगर दण्डाधिकारी - थाना बालको/कोरबा/दर्री/कुसमुण्डा क्षेत्र के लिए
2. प्रभारी अधिकारी वित्त/स्थापना
3. प्रभारी अधिकारी पुनर्वास शाखा
4. नजूल अधिकारी
5. विशेष कक्ष
6. जिला योजना एवं सांख्यिकी शाखा
7. प्रतिलिपि शाखा
8. नोडल अधिकारी ब्रिक्स
9. आवक जावक
10. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
11. दंगा पीड़ित 1984
12. जिला शहरी विकास अभिकरण
13. सहायक अधीक्षक (विविध)
14. राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं स्वास्थ्य विभाग
15. नोडल अधिकारी, गृह निर्माण मण्डल
16. कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य

4. **श्री एस. एन. राम, डिप्टी कलेक्टर**
प्रभारी अधिकारी

1. अभिलेख कोष्ठ राजस्व/आंग्ल
2. सूचना के अधिकार
3. 20 सूत्रीय
4. पर्यावरण शाखा
5. सामान्य निर्वाचन
6. स्थानीय निर्वाचन
7. भू-अभिलेख
8. राजस्व मोहर्रिर
9. प्रभारी अधिकारी सहायक अधीक्षक राजस्व

10. नवोदय विद्यालय
11. कम्प्यूटर शाखा
12. राजस्व आंकिक
13. सिटीज़न हेल्प लाइन
14. मत्स्य, कृषक विकास अभिकरण
15. अनुसूचित जाति/जनजाति विकास निगम
16. प्रपत्र, लेखन सामग्री एवं मुद्रण
17. कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य

5. **श्री एच. के. शर्मा, डिप्टी कलेक्टर**

1. प्रभारी अधिकारी वाचक कलेक्टर
2. प्रभारी अधिकारी जिला नाजिर
3. प्रभारी अधिकारी सत्कार शाखा
4. प्रभारी अधिकारी भाड़ा नियंत्रक
5. प्रभारी अधिकारी शिकायत/सतर्कता/विभागीय जांच
6. प्रभारी अधिकारी जनदर्शन/जनसम्पर्क
7. प्रभारी अधिकारी व्यवहारवाद
8. प्रभारी अधिकारी वरिष्ठ लिपिक, अतिरिक्त वरिष्ठ लिपिक
9. प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वासित किये जाने वाले प्रकरणों की जांच
10. सहायक अधीक्षक सामान्य, पुरातत्व/पर्यटन, आर.बी.सी. के प्रकरण, शोल्शियसम फंड/संजीवनी
11. आपदा एवं राहत शाखा
12. कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य

6. **श्री आर. जी. साहू, संयुक्त कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी कोरबा**

1. राजस्व
   1. अनुविभागीय अधिकारी
      (तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)
   2. स्वामित्व अधिकारी की समाप्ति अधिनियम 1950 के अंतर्गत तहसील कोरबा एवं करतला का क्षतिपूर्ति भुगतान.
   3. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रकरण
      (तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)
   4. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी
      (तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)
   5. रेट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रण अधिकारी
      (तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)
   6. ऋण मुक्ति अधिनियम के अंतर्गत प्रकरणों का निपटारा
      (तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)
   7. असिस्टेंट कस्टोडियन ऑफ इवाहाक्यू प्रापर्टीज
      (तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)
   8. नियमानुसार मुद्रांक शुल्क की वापसी
      (तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)
   9. व्यपवर्तन प्रकरण (धारा 172 के तहत C. G. L. R. C.)

2. आपराधिक
   1. कोरबा एवं करतला तहसील के लिए अनुविभागीय अधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी (धारा-133 एवं धारा 145 C. G. L. R. C.) प्रकरणों का निराकरण सहित.

2. कोरबा एवं करतला तहसील में शस्त्र अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची खाना क्रमांक 03 में दर्शाये अनुसार शास्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक तीन (सी) तीन (डी) एवं पांच की स्वीकृति एवं नवीनीकरण. उनके क्षेत्रों के फसल संरक्षण अनुज्ञप्तियों की स्वीकृति एवं नवीनीकरण

3. **विविध**

1. अपने अनुविभाग के विकास एवं कृषि योजनाओं का पर्यवेक्षण, जनसंपर्क, स्थानीय विकास तथा आदिवासी विकास योजना के समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण तथा बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण.

2. रोस्टर के अनुसार तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार के न्यायालयों तथा अन्य कार्यालयों का निरीक्षण.

3. कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य

7. **श्री जी. आर. राठौर, डिप्टी कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी कटघोरा**

1. **राजस्व**

1. अनुविभागीय अधिकारी
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी-उपरोड़ा के लिए)
2. स्वामित्व अधिकारी की समाप्ति अधिनियम 1950 के अंतर्गत तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी-उपरोड़ा का क्षतिपूर्ति भुगतान.
3. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रकरण
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी-उपरोड़ा के लिए)
4. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी-उपरोड़ा के लिए)
5. रेट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रण अधिकारी
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी-उपरोड़ा के लिए)
6. ऋण मुक्ति अधिनियम के अंतर्गत प्रकरणों का निपटारा
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी-उपरोड़ा के लिए)
7. असिस्टेंट कस्टोडियन ऑफ इवाहाक्यू प्रापर्टीज
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी-उपरोड़ा के लिए)
8. नियमानुसार मुद्रांक शुल्क की वापसी
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी-उपरोड़ा के लिए)
9. व्यपवर्तन प्रकरण (धारा 172 के तहत C. G. L. R. C.)

02. **आपराधिक**

1. तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी-उपरोड़ा के लिए अनुविभागीय अधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी (धारा-133 एवं धारा 145 C. G. L. R. C.) प्रकरणों का निराकरण सहित.

2. कटघोरा, पाली एवं पोड़ी-उपरोड़ा तहसील में शस्त्र अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची खाना क्रमांक 03 में दर्शाये अनुसार शास्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक तीन (सी) तीन (डी) एवं पांच की स्वीकृति एवं नवीनीकरण. उनके क्षेत्रों के फसल संरक्षण अनुज्ञप्तियों की स्वीकृति एवं नवीनीकरण

03. **विविध**

1. अपने अनुविभाग के विकास एवं कृषि योजनाओं का पर्यवेक्षण, जनसंपर्क, स्थानीय विकास तथा आदिवासी विकास योजना के समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण तथा बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण.

2. रोस्टर के अनुसार तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार के न्यायालयों तथा अन्य कार्यालयों का निरीक्षण.

3. कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य

संयोजन अधिकारी

क्रमांक (1)	अधिकारी का नाम (2)	संयोजन अधिकारी का नाम (3)
1.	श्री अभय कुमार मिश्रा, अपर कलेक्टर	श्री एस. आर. साहू, अपर कलेक्टर
2.	श्री एस. आर. साहू, अपर कलेक्टर	श्री अभय कुमार मिश्रा, अपर कलेक्टर
3.	श्रीमती हिना अनिमेष नेताम, संयुक्त कलेक्टर	श्री सर्वनाथ राम, डिप्टी कलेक्टर
4.	श्री सर्वनाथ राम, डिप्टी कलेक्टर	श्रीमती हिना अनिमेष नेताम, संयुक्त कलेक्टर
5.	श्री एच. के. शर्मा, डिप्टी कलेक्टर	श्री सर्वनाथ राम, डिप्टी कलेक्टर
6.	श्री रामजी साहु, अनिविभागीय अधिकारी राजस्व कोरबा	श्री सर्वनाथ राम, डिप्टी कलेक्टर
7.	श्री जी. आर. राठौर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटघोरा	श्री एच. के. शर्मा, डिप्टी कलेक्टर

आर. पी. एस. त्यागी,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 15th February 2012

No. 34/Confdl./2012/II-2-1/2012.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2), are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office and;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Sessions Judges of the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office :-

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri I. S. Uboweja, District & Sessions Judge.	Jagdalpur	Dhamtari	Dhamtari	District & Sessions Judge
2.	Shri A. K. Shukla, District & Sessions Judge.	Dhamtari	Raigarh	Raigarh	District & Sessions Judge
3.	Shri Shiv Mangal Pandey, District & Sessions Judge.	Raigarh	Jagdalpur	Bastar (Jagdalpur)	District & Sessions Judge

Bilaspur, the 15th February 2012

No. 36/Confdl./2012/II-2-1/2012.—The following Member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2), is transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and is posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date he assumes charge of his office and;

The following Member of Higher Judicial Service is appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :-

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Jagdamba Rai, III Additional District & Sessions Judge.	Raipur	Raigarh	Raigarh	I Additional District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 23rd February 2012

No. 41/Confdl./2012/II-3-1/2012.—The following Civil Judges Class-II as mentioned in Column No. (2) of the table below are, hereby, transferred from the place mentioned in Column No. (3) to the place mentioned in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charege of their office, viz :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Civil Judge Class-II (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Aditya Joshi, Additional Judge to the Court of Civil Judge Class-II, Menedragarh at Chirmiri.	Chirmiri	Konta	Dakshin Bastar (Dantewara)	Civil Judge Class-II
2.	Shri Mukesh Kumar Patre, Civil Judge Class-II.	Mungeli	Chirmiri	Koriya (Baikunthpur)	Additional Judge to the Court of Civil Judge Class-II, Manendragarh at Chirmiri.

By order of the Hon'ble High Court,
A. K. SHRIVASTAVA, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 15 फरवरी 2012

क्रमांक 40/दो-3-10/2007.—श्री शरद कुमार गुप्ता, न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, रायगढ़ को उनके आवेदन पत्र दिनांक 01-07-2011 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2009 से 31-10-2011 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

माननीय पोर्टफोलियों न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
ए. एल. खुटेल, बजट अधिकारी.

निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110001

नई दिल्ली, तारीख 29 जुलाई, 2011—7 श्रावण, 1933 (शक)

सं. 82/छ.ग./(15/2009)/2011.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा निर्वाचन अर्जी सं. 15/2009 में दिये गये छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के तारीख 17 अगस्त, 2010 के आदेश को प्रकाशित करता है.

आदेश से,

हस्ता./-
(के. अजय कुमार)
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Election Petition No. 15 of 2009

PETITIONER : Sambhu Prasad Sharma, aged about 62 Years, S/o late Shri Bansgopal Sharma, Village and Post Seoni, Tahsil Marwahi, District Bilaspur (CG)

VERSUS

RESPONDENTS :

1. Returning Officer Election Office Korba, 04, Korba Lok Sabha, Area Korba, Tahsil & District Korba (CG)

2. Shri Charan Das Mahant, aged about 54 years, S/o late Shri Bisahu Das Mahant, Village and Post Saragaon, District Janjgir-Champa (CG)

3. Smt. Karuna Shukla, aged about 59 years, W/o Shri Madhav Prasad Shukla, R/o Shankar Nagar (Anand Nagar) Tahsil & District Raipur (CG)

4. Smt. Vijay Laxmi Sharma, aged about 41 years, W/o Shri Pramod Kumar Sharma, Quarter No. 254/B 1, Balco Nagar, Korba, District Korba (CG)

5. Shri Kedar Nath Rajwade S/o Shri Hiralal Rajwade, aged about 28 years, R/o Quarter No. 175/1 K, Village Tenduwa, Tahsil-Baikunthpur, District Koriya (CG)

6. Smt. Chaiti Devi Mahant W/o Shri Kashidas, aged about 49 years, R/o N. D. 26-CSEB, East Korba (CG)

7. Shri Budhwar Singh Uikey S/o Shri Ganpat Singh, aged about 34 years, R/o Korbi, Post Suttarra, Tahsil Podi-up-Roda, District Korba (CG)

8. Dr. Shri Vipin Sinha S/o Shri R. P. Sinha, aged about 40 years, R/o B 70 C M P D I Colony Post Kusmunda, District Korba (CG)

9. Smt. Sangita Nirmalkar W/o Shri Ram Bahoran, aged about 32 years, R/o Quarter No. 17, Ward No. 35, Torwa, Bilaspur (CG)

10. Shri Hira Singh Markam S/o late Shri Deo Sai Markam, aged about 74 years, R/o Village and Post Tiwrata, Tahsil Pali, District Korba (CG)

11. Shri Gend Das Mahant S/o Shri Girwar Das Mahant, aged about 35 years, R/o Kashi Nagar Korba, Ward No. 16, Quarter No. 105/K, Tahsil and District Korba (CG)

12. Shri Charan Das Panika S/o Shri Hari Das Panika, aged about 25 years, R/o Village Kendai Khar, Post Jamni Pali, Tahsil Katghora, District Korba (CG)

13. Shri Pawan Kumar S/o Shri Matadeen, aged about, 38 years, R/o Pali Road, Dipka, Tahsil Katghora, District Korba (CG)

14. Shri Kuleshwar Prasad Sarajaiha S/o Shri Ramnath, aged about 75 years, R/o Village Gajra, Post Banki Mongra, Tahsil Katghora, District Korba (CG)

15. Shri Ram Dayal Uraon S/o late Shri Anandram aged about 49 years, R/o Village Pathadhi, Post Tilkeja, Tahsil and District Korba (CG)

16. Shri Ram Lakhan Kashi S/o late Shri Mandhari Kashi, aged about 68 years, R/o Gram Nagar, Post Nagar Tahsil Baikunthpur, District Koriya (CG)

17. Smt. Satrupa Wd/o late Shri Ramashankar, aged about 37 years, R/o G-19, Narbada Nagar Asindda Tahsil Khandawa, District Khandawa (MP)

18. Shri Santosh Banjare S/o Shri Netram Banjare, aged about 25 years, R/o Ekta Nagar, Quarter No. 380, Khongha Pani, District Koriya (CG) 497447.

Present :

Shri Ram Kumar Tiwari with Shri Ram Krishna Sharma, counsel for the petitioner.
Shri Yashwant Singh Thakur, counsel for respondent No. 1.
Shri Rajeev Shrivastava, counsel for respondent No. 2.

ORDER

(Passed on 17th August, 2010)

DHIRENDRA MISHRA, J.

1. Heard on I. A. No. 1

2. By this application under Order 7 Rule 11 (a) & (d) of the CPC, 1908 read with Section 86 (1) of the Representation of the People Act, 1951, (hereinafter referred to as 'the Act of 1951') the respondent No. 2 has prayed for dismissal of the election petition on the ground that the petition does not disclose any cause of action and there is non- compliance of Sections 81 and 82 of the Act of 1951.

3. The Petitioner has challenged the election of respondent No. 2 as a Member of Parliament from the Parliamentary Constituency No. 4, Korba in the general election held in the year 2009 on the ground that all other candidates including respondent No. 2, the elected candidate, did not file affidavits in Form No. 3 K- (III) showing debts and dues of the Government and thus, nomination papers filed by them were incomplete and invalid within the meaning of Section 33-A and 33-B of the Act of 1951 and their nomination was liable to be rejected during scrutiny by respondent No. 1. Respondent No. 1 vide its order dated 31st January, 2009 rejected the objection of the petitioner against accepting nomination papers of respondents No. 2 to 18.

4. Shri Rajeev Shrivastava, learned counsel appearing on behalf of respondent No. 2 submitted that the petitioner has failed to plead the material fact and material particulars and averments in the petition do not disclose any cause of action. The Supreme Court in the matter of Union of India Versus Association For Democratic Reforms and another reported in (2002) 5 SCC 294 issued certain directions in paragraph-48 of the judgment and the Commission was directed to call for information on affidavit from each candidate seeking election to Parliament or the State Legislative Assembly, as necessay part of his nomination paper furnishing therein information regarding assets (immovable, movable, bank balance etc) of a candidate and of his/her spouse and that of the dependents, appart from other information. In compliance of the aforesaid directions, the Election Commission of India (for brevity 'the ECI') issued an order on 26-8-2002 directing every candidate that while filing nomination papers they would submit an affidavit with regard to all the 5 matters mentioned in paragraph-48 of the Supreme Court's order dated 2nd May, 2002. However, in view of the subsequent order of the Supreme Court passed in the matter of Pepole's Union for Civil Liberties (PUCL) and another Versus Union of India and another, { (2003) 4 SCC 399, the ECI in supersession of its eariler order dated 28-6-2002 issued fresh order on 27-3-2003. From perusal of the order of the Supreme Court dated 2nd May, 2002 and the circular issued in compliance thereof, it is clear that a candidate is required to file affidavit with regard to *"Liabilites, if any,* particularly whether there are any over dues of any public financial institution or government dues". In the absence of any specific averment in the election petition regarding undischarged liabilility of public financial institution or government dues, the petition is lacking in material facts and particulars and the same does not disclose any cause of action and the petition deserves to be dismissed *in limine*. The petitioner has also not pleaded or filed the objection taken by him before the returning officer for rejection of nomination papers of other candidates. From perusal of the order of the returning officer dated 31st March, 2009 (Annexure-P/3) by which objection against the nomination papers of other candidates has been rejected, it is evident that the Returning Officer after examining record found the objections factually incorrect.

The petition is also liable to be dismissed on the ground of incorrect verification, as pleadings in the petition are based on personal knowledge of the petitioner whereas, issue raised by the petitioner is to be verified only on the basis of information on record.

Lastly, it was argued that the petition is also liable to be dismissed for mis-joinder of the parties, as the petitioner has impleaded returning officer as respondent No. 1.

5. A specific preliminary objection has been taken on behalf of respondent No. 1 that returning officer cannot be arrayed as party in an election petition in view of the specific provisions under Section 82 of the Act of 1951, which deals with parties to the petition. However, the petitioner has asserted that respondent No. 1 is a necessary party and has not moved any application for deleting the name of respondent No. 1 from the array of the respondents and has only stated that the petitioner is ready to obey any order pertaining to deletion of respondent No.1. It was further argued that annexures and documents filed by the petitioner have not been properly verified as required under Section 83 (2) of the Act of 1951.

6. On the other hand, Shri Ram Kumar Tiwari, learned counsel appearing on behalf of the petitioner submitted that the ECI in compliance of the directions of the Supreme Court in the matter of Association For Democratic Reforms and another (judgment dated 2nd May, 2002), directed that every candidate in election while filing nomination paper shall submit an affidavit in prescribed format annexed as Schedule I. It was specifically mentioned that non-filing of affidavit in the format (Annexure-P/6) along with nomination paper would constitute contempt of the Supreme Court and returning officer shall reject the nomination paper at the time of scrutiny (Annexure-P/2, para-5). Respondents No. 2 to 18 did not file affidavit in the prescribed format (Annexure-P/6). The petitioner filed an objection before the returning officer at the time of scrutiny on 30th March, 2009 for rejecting their nomination papers, however, objection of the petitioner was rejected vide Annexure-P/3. Acceptance of nomination papers of respondents No. 2 to 18 is contrary to the provisions of Section 100 (1) (d) (i) (iv) of the Act of 1951. The only objection of the petitioner against acceptance of nomination papers of other candidates is that they did not file affidavit in the format (Annexure-P/6) which is mandatory requirement, as per orders of the Election Commission dated 28th June, 2002 and 27th March, 2003, which were issued in compliance of the directions of the Supreme Court. It is not the allegation of the petitioner that other candidates have any undischarged liability towards public financial institution or Government loan and, therefore, objection regarding lack of material pleadings with respect to such allegations does not arise. So far as other objections regarding defect of verification of the pleadings and documents is concerned, election petition cannot be dismissed *in limine* only on this ground and such defects may be subsquently rectified. Even otherwise, allegations in the petition and documents annexed with the petition have been duly verified by the petitioner. The petitioner has already undertaken to delete the name of respondent No. 1 from the array of the respondents and, therefore, election petition cannot be dismissed on the ground of mis-joinder of the parties.

7. I have heard learned counsel for the parties, perused the election petition and the documents annexed with this petition.

8. From perusal of the order of the returning officer (Annexure-P/3) whereby objection of the petitioner raised at the time of scrutiny of nomination papers against nomination papers filed by other candidates has been rejected, it appears that the petitioner contended before the returning officer that other candidates have not annexed their affidavits in form - 3 (ka) (III) apart from other objections. The returning officer after examination of the nomination papers observed that the candidates have filed affidavits along with their nomination papers and signed before him as per directions of the Election Commission in the prescribed format (Annexure-22). After scrutiny, he did not find any fact/basis which goes contrary to the directions of the Election Commission.

9. Referring to the direction contained in Chapter-VI (para-10.1) of handbook of the Returning Officer, it has been observed that where an affidavit has been filed, in that case, nomination paper cannot be rejected on the ground that it is incomplete or defective.The petitioner has neither pleaded nor filed objections submitted by him before the returning officer on 30th March, 2009 against nomination papers of other candidates. He has also not filed affidavits/nomination papers filed by the other candidates which finds reference in the order of Annexure-P/3 by which his objection has been rejected.

10. In Association For Democratic Reforms and another (Supra), the Supreme Court held that jurisdiction of the Election Commission is wide enough to include all powers necessary for smooth conduct of elections and the word "elections" is used in a wide sense to include the entire process of election which consists of several stages and embraces many steps. Interpreting Article 324 of the Constitution of India, it has been held that Article 324 is a reservoir of power to act for the avowed purpose of having free and fair elections. The Constitution has taken care of leaving scope for exercise of residuary power by the Commission in its own right as a creature of the Constitution in the infinite variety of situations that may emerge from time to time in a large democracy, as every contingency could not be foreseen or anticipated by the enacted laws or the rules. By issuing necessary directions, the Commission can fill the vacuum till there is legislation on the subject. In para-48 of the above judgment, it has been observed thus :-

> "The Election Commission is directed to call for information on affidavit by issuing necessary order in exercise of its power under Article 324 of the Constitution of India from each candidate seeking election to Parliament or a State Legislature as a necessary part of his nomination paper, furnishing therein, information on the following aspects in relation to his/her candidature :

(1) Whether the candidate is convicted/acquitted/discharged of any criminal offence in the past - if any, whether he is punished with imprisonment or fine.

(2) Prior to six months of filing of nomination, whether the candidate is accused in any pending case, of any offence punishable with imprisonment for two years or more, and in which charge is framed or cognizance is taken by the court of law. If so, the details thereof.

(3) The assets (immovable, movable, bank balance, etc.) of a candidate and of his/her spouse and that of dependents.

(4) Liabilities, if any, particularly whether there are any overdues of any public financial institution or government dues.

(5) The educational qualifications of the candidate."

11. The Act of 1951 was amended vide the Representation of the People (Amendment) Oradinace, 2002 (4 of 2002), promulgated on 24-8-2002. Later on the Ordinance was replaced by the Representation of the People (Third Amendment) Act, 2002 (72 of 2002), which came into force w. e. f. 28th December, 2002 and Sections 33-A and 33-B was inserted. Constitutional validity of Section 33-B was challenged and the Supreme Court vide its judgment dated 13th March, 2003 in the case of People's Union For Civil Liberties (PUCL) and another (Supra), held that Section 33-B inserted in the Act of 1951 by amendment does not pass the test of Constitutionality and the same was declared invalid being violative of Article 19 (1) (a) of the Constitution.

12. In the light of directions contained in the case of People's Union For Civil Liberties (PUCL) and another (Supra), the Election Commission of India in Chapter V of Annexure-X of the Handbook For Returning Officers ordered in paragraphs-16 and 17 as under :-

"16. Now, therefore, the Election Commission, in pursuance of the above referred order dated 13th March, 2003, of the Hon'ble Supreme Court and in exercise of the powers, conferred on it by Article 324 of the Constitution, of superintendence, direction and control, inter alia, of conduct of elections to Parliament and State Legislatures, hereby issues, in supersession of its earlier order dated 28th June, 2002, its revised directions as follows :-

(1) Every candidate at the time of filing his nomination paper for any election to the Council of States, House of the People, Legislative Assembly of a State or the Legislative Council of a State having such a council, shall furnish full and complete information in regard to the matters specified by the Hon'ble Supreme Court and quoted in paras 13 and 14 above, in an affidavit, the format whereof is annexed hereto as Annexure-I to this order.

(2) The said affidavit by each candidate shall be duly sworn before a Magistrate of the First Class or a Notary Public or a Commissioner of Oaths appointed by the High Court of the State concerned.

(3) Non-furnishing of the affidavit by any candidate shall be considered to be violation of the order of the Hon'ble Supreme Court and the nomination of the candidate concerned shall be liable to rejection by the returning officer at the time of scrutiny of nominations for such non-furnishing of the affidavit.

(4) The information so furnished by each candidate in the aforesaid affidavit shall be disseminated by the respective returning officers by displaying a copy of the affidavit on the notice board of his office and also by making the copies thereof available freely and liberally to all other candidates and the representatives of the print and electronic media.

(5) If any rival candidate furnishes information to the contrary, by means of a duly sworn affidavit, then such affidavit of the rival candidate shall also be disseminated along with the affidavit of the candidate concerned in the manner directed above.

17. For the removal of doubt, it is hereby clarified that the earlier direction contained in para 14 (4) of the earlier order dated 28th June, 2002, in so far as verification of assets and liabilities by means of summary enquiry and rejection of nomination paper on the ground of funishing wrong information or suppressing material information is not enforceable in pursuance of the order dated 13th March, 2003 of the Apex Court. It is further clarified that apart from the affidavit in Annexure-I hereto referred to in para 16 (1) above, the candidate shall have to comply with all the other requirements as spelt out in the Representation of the People Act, 1951, as amended by the Representation of the People (Third Amendment) Act, 2002, and the Conduct of Election Rules, 1961, as amended by the Conduct of Elections (Amendment) Rules, 2002."

13. From perusal of the judgment of the Supreme Court in the matter of Association For Democratic Reforms and another (Supra) (Paragraph-48) and directions issued by the ECI in pursuance thereof on 28-6-2002 and 27th March, 2003, it is clear that every candidate was required to file information with respect to liabilities, if any, particularly whether there are any over dues of any public financial institution or government dues in the format appended as Annexure-I with the order dated 27th March, 2003 of the ECI.

14. From perusal of the order of Annexure-P/3, it is clear that affidavits have been sworn in by respondents No. 2 to 18 and the returning officer did not find any defects in the affidavits as per orders/directions of the Election Commission, on the basis of which their nomination papers could be rejected. Disclosures about undischarged liability towards public financial institutions or Government loan, if any, are to be made in the format enclosed with the order dated 27th March, 2003 of the ECI.

15. From perusal of Annexure-P/3, I have also observed that returning officer rejected the objection of the petitioner and accepted the nomination papers of other candidates as valid by observing that necessary affidavits in the prescribed format have been submitted by them. The petitioner has not filed affidavits of other candidates and it is not the allegation of the petitioner that respondents No. 2 to 18 have any undischarged liability towards public financial institutions or any Government loan. In the absence of any material fact to establish that other candidates did not file necessary affidavit in format Annexure-I appended with the order dated 27th March, 2003, and keeping in view the order of Annexure-P/3, which reveals that other cadidates had submitted affidavits in the prescribed format as per guidelines of the ECI. I find substance in the argument of learned counsel for respondent No. 2 that even if the entire allegations present in the petition is accepted, the same does not disclose any cause of action to the petitioner and there is no triable issue before this Court for adjudication of this election petition.

16. The only ground urged in the election petition is that respondent No. 2 to 18 did not submit necessary information on affidavit in the prescribed format as per para-3 (A) of Annexure-I annexed with the order dated 27th March, 2003 of the ECI. The affidavits filed by other candidates have not been annexed with the petition nor there is any specific pleading in this regard. Respondent No. 2 in his return, in para-8.4, in reply to para-5 of the petition, has specifically denied the above allegation and has specifically averred that the answering respondent has filed the affidavit as required under the law. In spite of above specific denial of respondent No. 2, the petitioner has failed to supply necessary material particulars to establish that affidavits sworn by other candidates were not in accordance with the requirement of the order of the ECI dated 27th March, 2003 or they were not in format of Annexure-I.

17. On the basis of aforesaid discussion, I am of the opinion that the petitioner has failed to disclose all material facts on which the election petitioner relies to establish the existence of a cause of action. In the absence of material facts and insufficient cause of action, the election petition is liable to be dismissed. It is a settled legal position that an election petition must clearly and unambiguously set out all the material facts which the petitioner is to rely upon during the trial, and it must reveal a clear and complete picture of the circumstances and should disclose a definite cause of action. In the absence of the above, an election petition can be summarily dismissed, as has been held by the Hon'ble Supreme Court in the matter of Laxmi Kant Bajpai Versus Hazi Yaqoob & others [2009 (8) Supreme 129].

18. In view of the aforesaid finding, it is not necessary to consider other issues raised by the respondents.

19. In the result, the application is allowed. The election petition is dismissed on the ground that the petitioner has failed to disclose all material facts on which he relies to establish the existence of a cause of action.

Sd/-
Dhirendra Mishra
El. Judge

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 29th July, 2011—7 Sravana, 1933 (Saka)

No. 82/CGH/(15/2009)/2011 .— In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby published Order dated the 17th August, 2010 of the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur in Election Petition No. 15 of 2009.

By order,

Sd/-
(K. AJAY KUMAR)
Pr. Secretary,
Election Commission of India.

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Election Petition No. 15 of 2009

PETITIONER : Sambhu Prasad Sharma, aged about 62 Years, S/o late Shri Bansgopal Sharma, Village and Post Seoni, Tahsil Marwahi, District Bilaspur (CG)

VERSUS

RESPONDENTS :

1. Returning Officer Election Office Korba, 04, Korba Lok Sabha, Area Korba, Tahsil & District Korba (CG)
2. Shri Charan Das Mahant, aged about 54 years, S/o late Shri Bisahu Das Mahant, Village and Post Saragaon, District Janjgir-Champa (CG)
3. Smt. Karuna Shukla, aged about 59 years, W/o Shri Madhav Prasad Shukla, R/o Shankar Nagar (Anand Nagar) Tahsil & District Raipur (CG)
4. Smt. Vijay Laxmi Sharma, aged about 41 years, W/o Shri Pramod Kumar Sharma, Quarter No. 254/B 1, Balco Nagar, Korba, District Korba (CG)
5. Shri Kedar Nath Rajwade S/o Shri Hiralal Rajwade, aged about 28 years, R/o Quarter No. 175/1 K, Village Tenduwa, Tahsil-Baikunthpur, District Koriya (CG)
6. Smt. Chaiti Devi Mahant W/o Shri Kashidas, aged about 49 years, R/o N. D. 26-CSEB, East Korba (CG)

7. Shri Budhwar Singh Uikey S/o Shri Ganpat Singh, aged about 34 years, R/o Korbi, Post Suttarra, Tahsil Podi-up-Roda, District Korba (CG)

8. Dr. Shri Vipin Sinha S/o Shri R. P. Sinha, aged about 40 years, R/o B 70 C M P D I Colony Post Kusmunda, District Korba (CG)

9. Smt. Sangita Nirmalkar W/o Shri Ram Bahoran, aged about 32 years, R/o Quarter No. 17, Ward No. 35, Torwa, Bilaspur (CG)

10. Shri Hira Singh Markam S/o late Shri Deo Sai Markam, aged about 74 years, R/o Village and Post Tiwrata, Tahsil Pali, District Korba (CG)

11. Shri Gend Das Mahant S/o Shri Girwar Das Mahant, aged about 35 years, R/o Kashi Nagar Korba, Ward No. 16, Quarter No. 105/K, Tahsil and District Korba (CG)

12. Shri Charan Das Panika S/o Shri Hari Das Panika, aged about 25 years, R/o Village Kendai Khar, Post Jamni Pali, Tahsil Katghora, District Korba (CG)

13. Shri Pawan Kumar S/o Shri Matadeen, aged about, 38 years, R/o Pali Road, Dipka, Tahsil Katghora, District Korba (CG)

14. Shri Kuleshwar Prasad Sarajaiha S/o Shri Ramnath, aged about 75 years, R/o Village Gajra, Post Banki Mongra, Tahsil Katghora, District Korba (CG)

15. Shri Ram Dayal Uraon S/o late Shri Anandram aged about 49 years, R/o Village Pathadhi, Post Tilkeja, Tahsil and District Korba (CG)

16. Shri Ram Lakhan Kashi S/o late Shri Mandhari Kashi, aged about 68 years, R/o Gram Nagar, Post Nagar Tahsil Baikunthpur, District Koriya (CG)

17. Smt. Satrupa Wd/o late Shri Ramashankar, aged about 37 years, R/o G-19, Narbada Nagar Asindda Tahsil Khandawa, District Khandawa (MP)

18. Shri Santosh Banjare S/o Shri Netram Banjare, aged about 25 years, R/o Ekta Nagar, Quarter No. 380, Khongha Pani, District Koriya (CG) 497447.

Present :

Shri Ram Kumar Tiwari with Shri Ram Krishna Sharma, counsel for the petitioner.
Shri Yashwant Singh Thakur, counsel for respondent No. 1.
Shri Rajeev Shrivastava, counsel for respondent No. 2.

ORDER

(Passed on 17th August, 2010)

DHIRENDRA MISHRA, J.

1. Heard on I. A. No. 1

2. By this application under Order 7 Rule 11 (a) & (d) of the CPC, 1908 read with Section 86 (1) of the Representation of the People Act, 1951, (hereinafter referred to as 'the Act of 1951') the respondent No. 2 has prayed for dismissal of the election petition on the ground that the petition does not disclose any cause of action and there is non- compliance of Sections 81 and 82 of the Act of 1951.

3. The Petitioner has challenged the election of respondent No. 2 as a Member of Parliament from the Parliamentary Constituency No. 4, Korba in the general election held in the year 2009 on the ground that all other candidates including respondent No. 2, the elected candidate, did not file affidavits in Form No. 3 K- (III) showing debts and dues of the Government and thus, nomination papers filed by them were incomplete and invalid within the meaning of Section 33-A and 33-B of the Act of 1951 and their nomination was liable to be rejected during scrutiny by respondent No. 1. Respondent No. 1 vide its order dated 31st January, 2009 rejected the objection of the petitioner against accepting nomination papers of respondents No. 2 to 18.

4. Shri Rajeev Shrivastava, learned counsel appearing on behalf of respondent No. 2 submitted that the petitioner has failed to plead the material fact and material particulars and averments in the petition do not disclose any cause of action. The Supreme Court in the matter of Union of India Versus Association For Democratic Reforms and another reported in (2002) 5 SCC 294 issued certain directions in paragraph-48 of the judgment and the Commission was directed to call for information on affidavit from each candidate seeking election to Parliament or the State Legislative Assembly, as necessay part of his nomination paper furnishing therein information regarding assets (immovable, movable, bank balance etc) of a candidate and of his/her spouse and that of the dependents, appart from other information. In compliance of the aforesaid directions, the Election Commission of India (for brevity 'the ECI') issued an order on 26-8-2002 directing every candidate that while filing nomination papers they would submit an affidavit with regard to all the 5 matters mentioned in paragraph-48 of the Supreme Court's order dated 2nd May, 2002. However, in view of the subsequent order of the Supreme Court passed in the matter of Pepole's Union for Civil Liberties (PUCL) and another Versus Union of India and another, { (2003) 4 SCC 399, the ECI in supersession of its eariler order dated 28-6-2002 issued fresh order on 27-3-2003. From perusal of the order of the Supreme Court dated 2nd May, 2002 and the circular issued in compliance thereof, it is clear that a candidate is required to file affidavit with regard to "*Liabilites, if any*, particularly whether there are any over dues of any public financial institution or government dues". In the absence of any specific averment in the election petition regarding undischarged liabilility of public financial institution or government dues, the petition is lacking in material facts and particulars and the same does not disclose any cause of action and the petition deserves to be dismissed *in limine*. The petitioner has also not pleaded or filed the objection taken by him before the returning officer for rejection of nomination papers of other candidates. From perusal of the order of the returning officer dated 31st March, 2009 (Annexure-P/3) by which objection against the nomination papers of other candidates has been rejected, it is evident that the Returning Officer after examining record found the objections factually incorrect.

The petition is also liable to be dismissed on the ground of incorrect verification, as pleadings in the petition are based on personal knowledge of the petitioner whereas, issue raised by the petitioner is to be verified only on the basis of information on record.

Lastly, it was argued that the petition is also liable to be dismissed for mis-joinder of the parties, as the petitioner has impleaded returning officer as respondent No. 1.

5. A specific preliminary objection has been taken on behalf of respondent No. 1 that returning officer cannot be arrayed as party in an election petition in view of the specific provisions under Section 82 of the Act of 1951, which deals with parties to the petition. However, the petitioner has asserted that respondent No. 1 is a necessary party and has not moved any application for deleting the name of respondent No. 1 from the array of the respondents and has only stated that the petitioner is ready to obey any order pertaining to deletion of respondent No.1. It was further argued that annexures and documents filed by the petitioner have not been properly verified as required under Section 83 (2) of the Act of 1951.

6. On the other hand, Shri Ram Kumar Tiwari, learned counsel appearing on behalf of the petitioner submitted that the ECI in compliance of the directions of the Supreme Court in the matter of Association For Democratic Reforms and another (judgment dated 2nd May, 2002), directed that every candidate in election while filing nomination paper shall submit an affidavit in prescribed format annexed as Schedule I. It was specifically mentioned that non-filing of affidavit in the format (Annexure-P/6) along with nomination paper would constitute contempt of the Supreme Court and returning officer shall reject the nomination paper at the time of scrutiny (Annexure-P/2, para-5). Respondents No. 2 to 18 did not file affidavit in the prescribed format (Annexure-P/6). The petitioner filed an objection before the returning officer at the time of scrutiny on 30th March, 2009 for rejecting their nomination papers, however, objection of the petitioner was rejected vide Annexure-P/3. Acceptance of nomination papers of respondents No. 2 to 18 is contrary to the provisions of Section 100 (1) (d) (i) (iv) of the Act of 1951. The only objection of the petitioner against acceptance of nomination papers of other candidates is that they did not file affidavit in the format (Annexure-P/6) which is mandatory requirement, as per orders of the Election Commission dated 28th June, 2002 and 27th March, 2003, which were issued in compliance of the directions of the Supreme Court. It is not the allegation of the petitioner that other candidates have any undischarged liability towards public financial institution or Government loan and, therefore, objection regarding lack of material pleadings with respect to such allegations does not arise. So far as other objections regarding defect of verification of the pleadings and documents is concerned, election petition cannot be dismissed *in limine* only on this ground and such defects may be subsquently rectified. Even otherwise, allegations in the petition and documents annexed with the petition have been duly verified by the petitioner. The petitioner has already undertaken to delete the name of respondent No. 1 from the array of the respondents and, therefore, election petition cannot be dismissed on the ground of mis-joinder of the parties.

7. I have heard learned counsel for the parties, perused the election petition and the documents annexed with this petition.

8. From perusal of the order of the returning officer (Annexure-P/3) whereby objection of the petitioner raised at the time of scrutiny of nomination papers against nomination papers filed by other candidates has been rejected, it appears that the petitioner contended before the returning officer that other candidates have not annexed their affidavits in form - 3 (ka) (III) apart from other objections. The returning officer after examination of the nomination papers observed that the candidates have filed affidavits along with their nomination papers and signed before him as per directions of the Election Commission in the prescribed format (Annexure-22). After scrutiny, he did not find any fact/basis which goes contrary to the directions of the Election Commission.

9. Referring to the direction contained in Chapter-VI (para-10.1) of handbook of the Returning Officer, it has been observed that where an affidavit has been filed, in that case, nomination paper cannot be rejected on the ground that it is incomplete or defective.The petitioner has neither pleaded nor filed objections submitted by him before the returning officer on 30th March, 2009 against nomination papers of other candidates. He has also not filed affidavits/nomination papers filed by the other candidates which finds reference in the order of Annexure-P/3 by which his objection has been rejected.

10. In Association For Democratic Reforms and another (Supra), the Supreme Court held that jurisdiction of the Election Commission is wide enough to include all powers necessary for smooth conduct of elections and the word "elections" is used in a wide sense to include the entire process of election which consists of several stages and embraces many steps. Interpreting Article 324 of the Constitution of India, it has been held that Article 324 is a reservoir of power to act for the avowed purpose of having free and fair elections. The Constitution has taken care of leaving scope for exercise of residuary power by the Commission in its own right as a creature of the Constitution in the infinite variety of situations that may emerge from time to time in a large democracy, as every contingency could not be foreseen or anticipated by the enacted laws or the rules. By issuing necessary directions, the Commission can fill the vacuum till there is legislation on the subject. In para-48 of the above judgment, it has been observed thus :-

> "The Election Commission is directed to call for information on affidavit by issuing necessary order in exercise of its power under Article 324 of the Constitution of India from each candidate seeking election to Parliament or a State Legislature as a necessary part of his nomination paper, furnishing therein, information on the following aspects in relation to his/her candidature :

(1) Whether the candidate is convicted/acquitted/discharged of any criminal offence in the past - if any, whether he is punished with imprisonment or fine.

(2) Prior to six months of filing of nomination, whether the candidate is accused in any pending case, of any offence punishable with imprisonment for two years or more, and in which charge is framed or cognizance is taken by the court of law. If so, the details thereof.

(3) The assets (immovable, movable, bank balance, etc.) of a candidate and of his/her spouse and that of dependents.

(4) Liabilities, if any, particularly whether there are any overdues of any public financial institution or government dues.

(5) The educational qualifications of the candidate."

11. The Act of 1951 was amended vide the Representation of the People (Amendment) Oradinace, 2002 (4 of 2002), promulgated on 24-8-2002. Later on the Ordinance was replaced by the Representation of the People (Third Amendment) Act, 2002 (72 of 2002), which came into force w. e. f. 28th December, 2002 and Sections 33-A and 33-B was inserted. Constitutional validity of Section 33-B was challenged and the Supreme Court vide its judgment dated 13th March, 2003 in the case of People's Union For Civil Liberties (PUCL) and another (Supra), held that Section 33-B inserted in the Act of 1951 by amendment does not pass the test of Constitutionality and the same was declared invalid being violative of Article 19 (1) (a) of the Constitution.

12. In the light of directions contained in the case of People's Union For Civil Liberties (PUCL) and another (Supra), the Election Commission of India in Chapter V of Annexure-X of the Handbook For Returning Officers ordered in paragraphs-16 and 17 as under :-

"16. Now, therefore, the Election Commission, in pursuance of the above referred order dated 13th March, 2003, of the Hon'ble Supreme Court and in exercise of the powers, conferred on it by Article 324 of the Constitution, of superintendence, direction and control, inter alia, of conduct of elections to Parliament and State Legislatures, hereby issues, in supersession of its earlier order dated 28th June, 2002, its revised directions as follows :-

(1) Every candidate at the time of filing his nomination paper for any election to the Council of States, House of the People, Legislative Assembly of a State or the Legislative Council of a State having such a council, shall furnish full and complete information in regard to the matters specified by the Hon'ble Supreme Court and quoted in paras 13 and 14 above, in an affidavit, the format whereof is annexed hereto as Annexure-1 to this order.

(2) The said affidavit by each candidate shall be duly sworn before a Magistrate of the First Class or a Notary Public or a Commissioner of Oaths appointed by the High Court of the State concerned.

(3) Non-furnishing of the affidavit by any candidate shall be considered to be violation of the order of the Hon'ble Supreme Court and the nomination of the candidate concerned shall be liable to rejection by the returning officer at the time of scrutiny of nominations for such non-furnishing of the affidavit.

(4) The information so furnished by each candidate in the aforesaid affidavit shall be disseminated by the respective returning officers by displaying a copy of the affidavit on the notice board of his office and also by making the copies thereof available freely and liberally to all other candidates and the representatives of the print and electronic media.

(5) If any rival candidate furnishes information to the contrary, by means of a duly sworn affidavit, then such affidavit of the rival candidate shall also be disseminated along with the affidavit of the candidate concerned in the manner directed above.

17. For the removal of doubt, it is hereby clarified that the earlier direction contained in para 14 (4) of the earlier order dated 28th June, 2002, in so far as verification of assets and liabilities by means of summary enquiry and rejection of nomination paper on the ground of funishing wrong information or suppressing material information is not enforceable in pursuance of the order dated 13th March, 2003 of the Apex Court. It is further clarified that apart from the affidavit in Annexure-I hereto referred to in para 16 (1) above, the candidate shall have to comply with all the other requirements as spelt out in the Representation of the People Act, 1951, as amended by the Representation of the People (Third Amendment) Act, 2002, and the Conduct of Election Rules, 1961, as amended by the Conduct of Elections (Amendment) Rules, 2002."

13. From perusal of the judgment of the Supreme Court in the matter of Association For Democratic Reforms and another (Supra) (Paragraph-48) and directions issued by the ECI in pursuance thereof on 28-6-2002 and 27th March, 2003, it is clear that every candidate was required to file information with respect to liabilities, if any, particularly whether there are any over dues of any public financial institution or government dues in the format appended as Annexure-I with the order dated 27th March, 2003 of the ECI.

14. From perusal of the order of Annexure-P/3, it is clear that affidavits have been sworn in by respondents No. 2 to 18 and the returning officer did not find any defects in the affidavits as per orders/directions of the Election Commission, on the basis of which their nomination papers could be rejected. Disclosures about undischarged liability towards public financial institutions or Government loan, if any, are to be made in the format enclosed with the order dated 27th March, 2003 of the ECI.

15. From perusal of Annexure-P/3, I have also observed that returning officer rejected the objection of the petitioner and accepted the nomination papers of other candidates as valid by observing that necessary affidavits in the prescribed format have been submitted by them. The petitioner has not filed affidavits of other candidates and it is not the allegation of the petitioner that respondents No. 2 to 18 have any undischarged liability towards public financial institutions or any Government loan. In the absence of any material fact to establish that other candidates did not file necessary affidavit in format Annexure-I appended with the order dated 27th March, 2003, and keeping in view the order of Annexure-P/3, which reveals that other cadidates had submitted affidavits in the prescribed format as per guidelines of the ECI. I find substance in the argument of learned counsel for respondent No. 2 that even if the entire allegations present in the petition is accepted, the same does not disclose any cause of action to the petitioner and there is no triable issue before this Court for adjudication of this election petition.

16. The only ground urged in the election petition is that respondent No. 2 to 18 did not submit necessary information on affidavit in the prescribed format as per para-3 (A) of Annexure-I annexed with the order dated 27th March, 2003 of the ECI. The affidavits filed by other candidates have not been annexed with the petition nor there is any specific pleading in this regard. Respondent No. 2 in his return, in para-8.4, in reply to para-5 of the petition, has specifically denied the above allegation and has specifically averred that the answering respondent has filed the affidavit as required under the law. In spite of above specific denial of respondent No. 2, the petitioner has failed to supply necessary material particulars to establish that affidavits sworn by other candidates were not in accordance with the requirement of the order of the ECI dated 27th March, 2003 or they were not in format of Annexure-I.

17. On the basis of aforesaid discussion, I am of the opinion that the petitioner has failed to disclose all material facts on which the election petitioner relies to establish the existence of a cause of action. In the absence of material facts and insufficient cause of action, the election petition is liable to be dismissed. It is a settled legal position that an election petition must clearly and unambiguously set out all the material facts which the petitioner is to rely upon during the trial, and it must reveal a clear and complete picture of the circumstances and should disclose a definite cause of action. In the absence of the above, an election petition can be summarily dismissed, as has been held by the Hon'ble Supreme Court in the matter of Laxmi Kant Bajpai Versus Hazi Yaqoob & others [2009 (8) Supreme 129].

18. In view of the aforesaid finding, it is not necessary to consider other issues raised by the respondents.

19. In the result, the application is allowed. The election petition is dismissed on the ground that the petitioner has failed to disclose all material facts on which he relies to establish the existence of a cause of action.

Sd/-
Dhirendra Mishra
El. Judge